

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

सि० न० - 103/2025

भनवान :-

1. सुभाष पुत्र देवीलाल जाति नाई निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

- वनाम
1. देवीलाल पुत्र रावताराम जाति नाई निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
 2. नारानी पतनी देवीलाल जाति नाई निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
 3. सावित्री पुत्री देवीलाल जाति नाई निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
 4. गुडडी पुत्री देवीलाल जाति नाई निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
 5. समेस्ता पुत्री देवीलाल जाति नाई निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
 6. मूर्ति पुत्री देवीलाल जाति नाई निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
 7. सुमन पुत्री देवीलाल जाति नाई निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
 8. भूपसिंह पुत्र देवीलाल जाति नाई निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
 9. छोटूराम पुत्र देवीलाल जाति नाई निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
 10. पृथ्वी सिंह पुत्र देवीलाल जाति नाई निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
 11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-वादी

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री भानूप्रताप बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अमरजीत बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मुन्सरी बरानी के खाता सं० 95/92 के खसरा सं० 204, 205, 207, 215, 260, 264, 265, 426/280, 447/209 कुल रकबा 18.1710 है० बरानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 देवीलाल के नाम 1/6 हिस्सा व रोही मोजा मुन्सरी बरानी के खाता सं० 94/91 के खसरा सं० 280 की 5.7920 है० बरानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 देवीलाल के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं० 1 देवीलाल अकेले के बजाय वादी सुभाष, प्रतिवादी सं० 1 देवीलाल, प्रतिवादी सं० 8 भूपसिंह, प्रतिवादी सं० 9 छोटूराम व प्रतिवादी सं० 10 पृथ्वीसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं चूंकि प्रतिवादी सं० 2 ता 7 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 8 ता 10 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

1. सुभाष पुत्र देवीलाल जाति नाई निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

:-वादी

1. देवीलाल पुत्र रावताराम जाति नाई निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. नारानी पतनी देवीलाल जाति नाई निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. सावित्री पुत्री देवीलाल जाति नाई निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. गुड्डी पुत्री देवीलाल जाति नाई निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
5. समेस्ता पुत्री देवीलाल जाति नाई निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
6. मूर्ति पुत्री देवीलाल जाति नाई निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
7. सुमन पुत्री देवीलाल जाति नाई निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
8. भूपसिंह पुत्र देवीलाल जाति नाई निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
9. छोटूराम पुत्र देवीलाल जाति नाई निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
10. पृथ्वी सिंह पुत्र देवीलाल जाति नाई निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम



उपस्थिति :- श्री भानूप्रताप बैनीवाल वादी
श्री अमरजीत बैनीवाल प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 31/7/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मुन्सरी बाराणी के खाता सं० 95/92 के खसरा सं० 204, 205, 207, 215, 260, 264, 265, 426/280, 447/209 कुल रकबा 18.1710 है० बाराणी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 देवीलाल के नाम 1/6 हिस्सा व रोही मौजा मुन्सरी बाराणी के खाता सं० 94/91 के खसरा सं० 280 की 5.7920 है० बाराणी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 देवीलाल के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित हैं। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुख्यास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1-ता 10 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 11 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा मुन्सरी बाराणी वादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर गनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं० 95/92 के खसरा सं० 204, 205, 207, 215, 260, 264, 265, 426/280, 447/209 कुल रकबा 18.1710 है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 देवीलाल के नाम 1/6 हिस्सा व रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं० 94/91 के खसरा सं० 280 की 5.7920 है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 देवीलाल के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं० 1 के वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 10 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी के साथ साथ प्रतिवादी सं 1 ता 10 बहिस्सा बराबर के वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 व 8 ता 10 के पक्ष में घोषणा किये जाने पर अनापति जाहिर की व अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 व 8 ता 10 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं० 95/92 के खसरा सं० 204, 205, 207, 215, 260, 264, 265, 426/280, 447/209 कुल रकबा 18.1710 है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 देवीलाल के नाम 1/6 हिस्सा व रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता सं० 94/91 के खसरा सं० 280 की 5.7920 है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 देवीलाल के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं० 1 देवीलाल अकेले के बजाय वादी सुभाष, प्रतिवादी सं० 1 देवीलाल, प्रतिवादी सं० 8 भूपसिंह, प्रतिवादी सं० 9 छोदूराम व प्रतिवादी सं० 10 पृथ्वीसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है चूंकि प्रतिवादी सं० 2 ता 7 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 8 ता 10 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3/7/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कल्पित) (विद्वान)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 भादरा (जिला- भादरा)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 भादरा जिला हनुमानगढ़

R.A.S